न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

(*बइजलास इन्द्राज सिंह आर0ए0एस0*)

वाद संख्या 82 सन् 2016 निर्णय दिनांक 7-1-202

1. अमरसिंह
2. लक्ष्मीनारायण
3. रामफूल

पुत्रगण सहीराम जाति प्रजापत निवासीगण खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र बुधर जाति प्रजापत निवासी खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

3. सन्तो
4. धर्मा
5. कमला

पुत्रियां सहीराम जाति समस्त प्रजापत निवासीगण खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

उपस्थिति :—

1. श्री विमल शर्मा अधिवक्ता — वास्ते वादीगण
2. श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता — वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. ता 5
3. नायब तहसीलदार राजगढ़ — पैरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – कृषि भमि खाता सं. 146, ख0नं0 547/43 तादादी 01.4669 हैक्टेयर, ख0नं0 549/57 तादादी 02.5925 हैक्टैयर, ख0नं0 552/105 तादादी 03.5916 हैक्टेयर, ख0नं0 555/115 तादादी 03.2881 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 10.9391 हैक्टेयर वाके रोही खुड़डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसके गत ख0नं0 35 तादादी 30 बीघा 06 बिस्वा, ख0नं0 59 तादादी 35 बीघा 05 बिस्वा कुल तादादी 65 बीघा 11 बिस्वा वाके रोही खुड़डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू रहे है जो वादीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के दादा बुधर पुत्र जैसा जाति कुम्हार निवासी खुड़डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू की खातेदारी की रही है। यही विवादित कृषि भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के दादा बुधर की मृत्यु के बाद संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाईयों पितराम व श्योलाल के हिस्सा में जरिए नामान्तरकरण दर्ज हुई है जिसके विभाजन के बाद उक्त कृषि भूमि खाता सं. 146, ख0नं0 547/43 तादादी 01.4669 हैक्टेयर, ख0नं0 549/57 तादादी 02.5925 हैक्टैयर, ख0नं0 552/105 तादादी 03.5916 हैक्टेयर, ख0नं0 555/115 तादादी 03.2881 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 10.9391 हैक्टेयर वाके रोही खुड़डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू प्रतिवादी सं. 1 सहीराम पुत्र बुधर के दर्ज हो गई। प्रतिवादी सं. 1 के वादीगण पुत्र होने व गौण प्रतिवादी सं. 3 ता 5 पुत्रियां होने से व कृषि भूमि वादीगण के दादा की संपति होने से वादीगण व गौण प्रतिवादी सं. 3 ता 5 का प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में जन्म से ही हक व अधिकार बनता है। वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

गौण प्रतिवादी सं. 3 ता 5 उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 सहीराम के हिस्सा में प्रतिवादी सं. 3 ता 5 उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 सहीराम के हिस्सा में प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है लेकिन गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रियां व वादीगण की बहनें होने से उन्होने अपना हिस्सा मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में हक त्याग कर दिया है। गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 विवाहित है जिनके विवाह व अन्य रस्मों में वादीगण ने ही खर्चा इत्यादि किया है। इस कारण उनको उक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही चाहिए। कानूनी उजर हटाने के लिए उन्हे गोण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 बनाया गया है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण दादालाई संपति होने से प्रतिवादी सं. 1 सहीराम के हिस्सा की कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवानें के हकदार है जो घोषणा की जानी न्यायोचित है। इसलिए यह घोषणात्मक वाद पेश किया जा रहा है। वादीगण नें प्रतिवादी सं. 1 को काफी कहा कि वह वादीगण के हिस्सा को घोषित करवा देवे लेकिन दिनांक 05.04.2019 को उसनें ऐसा करवाने से साफ इंकार कर दिया लिहाजा यही तारीख वाद कारण है व वादाधार वादीगण को कृषि भूमि में हिस्सा होने से हासिल है। कृषि भूमि की सर्वोतम मालिक राजस्थान सरकार होने से तहसीलदार को पक्षकार वाद बनाया गया है। वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है व वाद निर्धारित न्यायालय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण के हक में निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

(क) कि कृषि भूमि खाता सं. 146, ख0नं0 547/43 तादादी 01.4669 हैक्टेयर, ख0नं0 549/57 तादादी 02.5925 हैक्टैयर, ख0नं0 552/105 तादादी 03.5916 हैक्टेयर, ख0नं0 555/115 तादादी 03.2881 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

10.3391 हैक्टेयर वाके रोही खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 शामिलान के हिस्सा में वादीगण भी बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या वाद दायरी के समय रह गये हो या वाद दायरी के बाद उत्पन्न हो जावे वो भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण नें जरिये अधिवक्ता हाजिर होकर इकबाल दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण चाहे गये अनुतोषो के अनुसार स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 को कोई ऐतराज नही है।

वादीगण द्वारा अपनें वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी अमरसिंह का शपथ पत्र मुख्य परीक्षा का पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण को काफी अवसर प्रदान किए जानें के बाद भी अपनी प्रतिरक्षा में जीरह नही की गई व ना ही प्रतिवादीगण द्वारा काफी अवसर प्रदान किए जाने पर साक्ष्य पेश की गई तो साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। वादीगण द्वारा दस्तावेजात छाया प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074 – 2077, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2010, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018, प्रमाणित प्रति खसरा पृष्ठ सं. 27, प्रमाणित प्रति खसरा पृष्ठ सं. 15, प्रमाणित प्रति खसरा पृष्ठ सं. 11 पेश किये गये। जिनका अवलोकन किया गया।

वादीगण नें अपनें वाद के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेजात पेश किए है तथा प्रतिवादी सं. 1 व गोण प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण के हक में स्वीकार किये जाने बाबत कोई आपति दर्ज नही की गई है। पैरोकार राज नें राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया है।

चूंकि प्रतिवादी सं. 1 व गोण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 द्वारा वाद का कोई प्रतिरोध नही कर जरिये इकबालदावा वाद को वादीगण के हक में स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

किया गया है। पैरोकार राज द्वारा वाद में राजहित निहित नही होना जाहिर किया है। इसलिए वाद वादीगण के हक में घोषणा के अनुतोष का डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश है कि विवादित कृषि भूमि खाता सं. 146, ख0नं0 547/43 तादादी 01.4669 हैक्टेयर, ख0नं0 549/57 तादादी 02.5925 हैक्टैयर, ख0नं0 552/105 तादादी 03.5916 हैक्टेयर, ख0नं0 555/115 तादादी 03.2881 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 10.9391 हैक्टेयर वाके रोही खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू जो कि प्रतिवादी सं. सहीराम के खातेदारी की है में वादीगण सं. 1 ता 3 क्रमशः अमरसिंह, लक्ष्मीनारायण व मनफूल प्रतिवादी सं. 1 सहीराम के साथ बहिस्सा बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 7-1-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

(बइजलास इन्द्राज सिंह आर0ए0एस0)

निर्णय दिनांक 7-1-2020

वाद संख्या 82 सन् 2016

1. अमरसिंह
2. लक्ष्मीनारायण
3. मनफूल

पुत्रगण सहीराम जाति प्रजापत निवासीगण खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र बुधर जाति प्रजापत निवासी खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

3. सन्तो
4. धर्मा
5. कमला

पुत्रियां सहीराम जाति समस्त प्रजापत निवासीगण खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

उपस्थिति :–

1. श्री विमल शर्मा अधिवक्ता – वास्ते वादीगण
2. श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता – वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5
3. नायब तहसीलदार राजगढ़ – पैरोकार राज

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

पर्चा डिक्री

दावा वादीगण बाबत इस्तकरार हक इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि खाता सं. 146, ख0नं0 547/43 तादादी 01.4669 हैक्टेयर, ख0नं0 549/57 तादादी 02.5925 हैक्टैयर, ख0नं0 552/105 तादादी 03.5916 हैक्टेयर, ख0नं0 555/115 तादादी 03.2881 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 10.9391 हैक्टेयर वाके रोही खुड्डी तहसील राजगढ़ जिला चूरू जो कि प्रतिवादी सं. सहीराम के खातेदारी की है में वादीगण सं. 1 ता 3 क्रमशः अमरसिंह, लक्ष्मीनारायण व मनफूल प्रतिवादी सं. 1 सहीराम के साथ बहिस्सा बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है घोषित किये जाते है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-1-2020 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)